

# Order Sheet (subsequent)

राज०राज्य बनाम शाहिद अली उर्फ शाहिद हाण्डा वगै०  
सेशन प्रकरण संख्या : 57 / 2023

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
09.03.2026	<p>लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण शाहिद अली उर्फ शाहिद हाण्डा व सैजान खान उर्फ बिट्टू वर जमानत मय अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.09 चन्द्रभान के बयान लेखबद्ध किये गये, शामिल मिसल रहे। शेष गवाह अनुपस्थित। गवाह संख्या 6 का जमानती वारंट अदम तामील में प्राप्त हुआ है। गवाह संख्या 6 को पुनः जरिये जमावती वारण्ट रूपये 2000/- से व गवाह संख्या 7, 12 को जरिये सम्मन तलब किया जावे। गवाहान की तामील जरिये नोडल अधिकारी कराई जावे। तामील पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण लक्षित प्रकरणों की सूची में शुमार है, गवाह की तामील विशेष वाहक द्वारा आवश्यक रूप से कराई जावे।</p> <p>पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 18.03.2026 को पेश हो।</p> <p><b>सत्यनारायण टेलर</b> जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राज.)</p>	<p>शाहिद</p> <p>सैजान</p> <p>२९३-२ ११-३-२६</p>
18.03.2026	<p>लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण शाहिद अली उर्फ शाहिद हाण्डा व सैजान खान उर्फ बिट्टू वर जमानत अनुपस्थित, जिनकी हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिये श्री फिरोज खान पेश हुआ, जो आज के लिये स्वीकार किया गया।</p> <p>साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.10 महेन्द्र सिंह के बयान लेखबद्ध किये गये, शामिल मिसल रहे। शेष गवाह अनुपस्थित। गवाह संख्या 6 को पुनः जरिये जमावती वारण्ट रूपये 2000/- से व गवाह संख्या 12 को जरिये सम्मन तलब किया जावे। गवाहान की तामील जरिये नोडल अधिकारी कराई जावे। तामील पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण लक्षित प्रकरणों की सूची में शुमार है, गवाह की तामील विशेष वाहक द्वारा आवश्यक रूप से कराई जावे।</p> <p>पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 27.03.2026 को पेश हो।</p> <p><b>सत्यनारायण टेलर</b> जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राज.)</p>	